



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1105/2-75/2026

दिनांक: 26-09-2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:-नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2026 व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-1002/2018 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ० प्र० व अन्य तथा ओ०ए० सं०-827/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2026 के अनुपालन में पारित आदेश में उल्लिखित स्थल का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.09.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अभिष्ट कुसुम गुप्ता उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पारित आदेश में उल्लिखित स्थल पर जगह-जगह नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी० एण्ड डी० का भण्डारण अत्याधिक मात्रा में पाया गया, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2026 व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है। विस्तृत आख्या संलग्न है।

उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2026 व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय


(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-1002/2018 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य तथा ओ0ए0 सं0-827/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2026 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-1002/2018 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ0 प्र0 व अन्य तथा ओ0ए0 सं0-827/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2026 के अनुपालन में पारित आदेश में उल्लिखित स्थल का निरीक्षण अद्योहस्कारकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.09.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अभिष्ट कुसुम गुप्ता स्थल पर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. **कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड सेक्टर-137 से सेक्टर-142, नोएडा-निरीक्षण** के समय सेक्टर-137, मेट्रो स्टेशन के पास कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड पर एक शॉप स्थापित पायी गयी तथा कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड पर जगह-जगह नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी0 एण्ड डी0 का भण्डारण अत्याधिक मात्रा में पाया गया, जो बारिश के समय कोण्डली ड्रेन में जाकर कोण्डली ड्रेन को प्रदूषित करना व आगजन की घटना होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:-

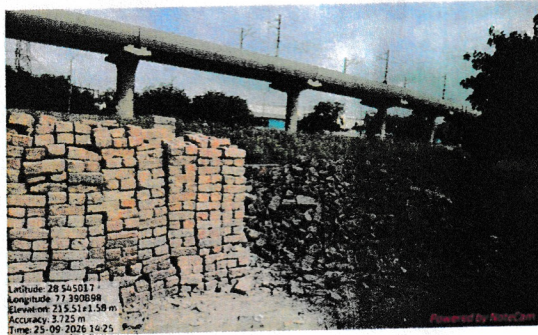


2. **कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड सेक्टर-137 से सेक्टर-81, नोएडा-निरीक्षण** के समय कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड पर जगह-जगह नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी0 एण्ड डी0 का भण्डारण अत्याधिक मात्रा में पाया गया, जो बारिश के समय कोण्डली ड्रेन में जाकर कोण्डली ड्रेन को प्रदूषित करना व आगजन की घटना होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:-





3. कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड सेक्टर-81 से सेक्टर-49, नोएडा-निरीक्षण के समय कोण्डली ड्रेन के किनारे वाली रोड पर जगह-जगह नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी0 एण्ड डी0 का भण्डारण अत्याधिक मात्रा में पाया गया, जो बारिश के समय कोण्डली ड्रेन में जाकर कोण्डली ड्रेन को प्रदूषित करना व आगजन की घटना होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:-



अतः उक्त शिकायती स्थल पर भण्डारित नगरीय ठोस अपशिष्ट व सी0 एण्ड डी0 का निस्तारण न किये जाने के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2026 व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि कुमार)
25/09/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

(राहुल पटेल)
25/09/26
(राहुल पटेल)
अवर अभियन्ता

(किशन सिंह)
25/09/26
(किशन सिंह)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

(क्षेत्रीय अधिकारी)
25.9.26
Ro